फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो

निविदा क्रमांक 2 /वाहन किराया/2020 खजुराहो दिनांक- 13/10/2020

सीमित निविदा सूचना

- - -

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो (पर्यटन विभाग) में वाहन किरायें पर प्राप्त करने हेतु (Annual rate contract) निविदा आमंत्रित की जाती है (स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से)। निविदा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो की बेवसाइट www.fcikhj.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा की अंतिम तिथि - दिनांक 26/10/2020 सायंकाल 05:00 बजे।

निविदा (तकनीकी खोलने की तिथि - दिनांक 27/10/2020 प्रात:काल: 11:00 बजे।

निविदा (वितीय) खोलने की तिथि- दिनांक 27/10/2020 अपरान्ह 12:00 बजे।

प्राचार्य/सचिव
फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- 9993861664, 7027010707, 9424714773

वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते

फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो के कार्यालयीन उपयोग एवं शासकीय कार्य निष्पादन/भ्रमण हेतु वर्ष 2015 अथवा इसके पश्चात के मॉडल के वाहनों की किराये पर आवश्यकता है।

वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं

1. पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र के जमा करने की अंतिम तिथि 26/10/2020 05:00 बजे तक है। प्राप्त निविदायें के तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 27/10/2020 को 11:00 बजे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी एवं वित्तीय प्रस्ताव 27/10/2020 को 12:00 बजे प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी।
2. वाहन किराया दर में ईधन (पी.ओ.एल.), वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत व रखरखाव, पंजीकरण, रोड़ टैक्स, बीमा राशि आदि समस्त व्यय सम्मिलित होंगे। पृथक से किसी भी प्रकार का कर, प्रभार, उपकर अथवा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा। किराये के अतिरिक्त GST का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार वाहन अन्य एवं दुर्गम स्थानों पर भी कार्यालयीन कार्य से ले जाये जा सकते हैं।
4. निविदा पत्र के साथ रू. 5,000/- (पॉच हजार रूपये मात्र) की प्रतिभूति राशि एवं आवेदन शुल्क 500/- रूपये राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो के नाम से देय होगा। इस राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
5. चयनित निविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति राशि, अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात Security Deposit के रूप में अनुबंध अवधि तक रखी जायेगी। शेष निविदाकर्ताओं को प्रतिभूति राशि वित्तीय निविदा खुलने के 30 दिनों में वापिस की जायेगी, इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. वाहन प्रदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षो में (मार्च 2020 को समाप्त अवधि तक) औसत वार्षिक करोबार कम से कम रू. 10.00 लाख का होना अनिवार्य है।

7. परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी अन्य स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए निविदाकार एजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगी।
8. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वाहन मध्य प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए।
9. कार्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य ट्रेवल्स एजेंसी से भी स्वीकृत दरों पर वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं।
10. प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दरों का निर्धारण मासिक आधार पर वाहन हेतु प्राप्त किराये की दरों के आधार पर किया जाएगा। चयनित निविदाकर्ता को अन्य वाहन भी प्राप्त दरों में से न्यूनतम के आधार पर प्रदाय करनी होगी।
11. मासिक आधार पर जिस निविदाकर्ता की दरें न्यूनतम होगी उसी से दैनिक आधार पर भी वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिये जायेंगे, परंतु दैनिक आधार पर देय दरे प्राप्त प्रस्तावों में जो न्यूनतम होगी वे दरे चयनित निविदाकर्ता को मान्य करनी होगी।
12. वाहन प्रदाता एजेंसी का नियमानुसार जी.एस.टी. (GST) हेतु पंजीयन अनिवार्य हैं। इस बावत् जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाना आवश्यक हैं, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
13. वाहन प्रदाता एजेन्सी को भुगतान प्राप्त होने पर नियमानुसार जी.एस.टी. (GST) के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा पेट्रोल/डीजल आदि की दर में कोई वृद्धि/ कमी की जाती हैं तो दरें परिवर्तनीय नहीं होंगी।
15. वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन /बीमा/रोड टेक्स/ एवं अन्य समस्त शासकीय कर आदि वाहन प्रदाता को वहन करना होगा व उन्हें अद्यतन रखने की जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी। वाहन का Comprehensive insurance होना अनिवार्य होगा। वाहन व वाहन चालक से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज वाहन के साथ में रखे जाने आवश्यक होंगे व एक प्रति कार्यालय में भी जमा करना होगा।
16. वाहन मालिक अपने वाहन के साथ वैध कमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस धारी वाहन चालक भी उपलब्ध करायेगा, जिसके वेतन, पी.एफ., ई.एस.आई., भत्ते, उपयुक्त ड्रेस, बीमा सुविधा आदि समस्त विधिक औपचारिकताओं का भुगतान वाहन मालिक को स्वयं करना होगा। वाहन चालक को 24 घंटे कार्यशील मोबाईल

सुविधा प्रदान करना आवश्यक होगा। वाहन चालक स्वच्छ चाल चलन वाले एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कमर्शियल वाहन चालक के ड्रेस कोड में रहना चाहिए।

17. सामान्यतया वाहन की सेवाएं प्रतिदिन, सप्ताह के सातों दिन व पूरे माह बिना किसी अवकाश उपलब्ध कराई जानी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे- स्टेशन /एयरपोर्ट, बैठकों आदि के लिए वाहन चालक को अन्य निर्विदिष्ट समय में निर्देशानुसार सेवा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना होगा तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. वाहन की बाहरी एवं आंतरिक साज सज्जा एवं नियमित सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। इस हेतु वाहन के सीट कवर आदि को 15 दिवस में बदला जाना अनिवार्य होगा।

19. वाहन के लॉगबुक उपलब्ध करायी जाना आवश्यक होगा जिसमें उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर कि.मी. अंकित कि जाकर पुष्टि की जाएगी। उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग-बुक की छायाप्रति को वाहन प्रदाता द्वारा सत्यापित की जाकर देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा। अधिकारी के वाहन का उपयोग प्रारंभ करने व मुक्त करने तक किलोमीटर मान्य होगा, अर्थात कि.मी. की गणना अधिकारी के आवास/ कार्यालय से की जायेगी।

20. वाहन की मरम्मत, रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा एवं सुधार कार्य हेतु ले जाने की स्थिति में अन्य वाहन सेवा में लगाना होगा अन्यथा सुधार अवधि का किराया देय नहीं होगा। वाहन मरम्मत आदि हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा। वाहन की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

21. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शर्तो का उल्लंघन करने अथवा निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ऐसी स्थिति में एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

22. किसी एजेन्सी की दरें न्यूनतम होने अथवा स्वीकृत होने पर भी उसका वाहन विभाग द्वारा प्रयोग करने अथवा नहीं करने का अधिकार प्राचार्य फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो के पास सुरक्षित रहेगा।

23. निविदा के संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। अनुबंध उपरांत विभाग अपनी आवश्यकतानुसार वाहन प्राप्त करने हेतु वाहन मालिक से संपर्क करेगा। इसके लिए वाहन मालिक का पूरे समय कार्यशील दूरभाष/मोबाइल नं. विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
24. देयकों से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू होने वाले करों की कटौती की जावेगी।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्राचार्य एफ.सी.आई., खजुराहो का होगा।
26. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो का होगा।
27. निविदा की शर्तो की पूर्ति न होने की स्थिति में निविदा स्वत: ही निरस्त मानी जावेगी।
28. निविदा, निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत समय पर खोली जावेंगी। निविदायें खोले जाते समय यदि किसी कारणवश, कोई भी निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहने में असफल रहता है, तब वह भी निविदा खोले जोने की आवश्यक कार्यवाही बिना कोई प्रतीक्षा किये सम्पन्न की जावेगी तथा इस विषय में उठाई गई कोई भी आपत्ति विधिमान्य नहीं होगी।
29. यदि किसी कारणवश कार्यदिवस में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक एक दिवस की अनुपस्थिति के लिए उस दिन का भुगतान काटा जावेगा। आवकाश के दिनों में भी वाहन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा, नहीं कराये जाने की स्थिति में उस दिन के सामान्य किराये की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
30. निविदा स्वीकृति उपरांत छ: माह का अनुबंध किया जावेगा। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
31. निविदाकर्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना उपरांत वाहन हटाये जा सकेगें, परंतु सेवायें संजोषजनक नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार प्राचार्य, फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो

के पास सुरक्षित होगा। इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकती है।

32. वर्ष 2015 के पूर्व के मॉडल के वाहन किसी भी स्थिति में सेवा में नहीं लगाये जावेंगे।

33. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

34. रास्ते में सामान्यतः चार घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। साथ ही अन्य वाहन भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अधिकारी के द्वारा ऐसी स्थिति में स्वयं वाहन किराये पर लेकर यात्रा की जाती है तो उसका भुगतान ट्रेवल एजेंसी को करना होगा।

35. मासिक आधार के अतिरिक्त वाहन आवश्यकता/ मांग के अनुसार बैठक/ कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रतिदिन के अनुसार समय-समय पर किराये पर लिए जा सकते हैं।

36. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियों पूर्णतः वर्जित होंगी। वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन करा कर प्रस्तुत करना होगा। यदि अधिकारी द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती हैं तो वाहन प्रदाता को तत्काल वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही करनी होगी।

37. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व प्रथम पक्षकार की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुबंध अवधि में वाहन पूर्णरूपेण संस्थान के आधिपत्य में रहेंगे। इस कारण उक्त वाहनों का उपयोग वाहन प्रदाता अन्य कार्यों में नहीं कर सकेगा।

38. उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगी तथा इनका पालन एजेंसी को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

39. निविदा के नियम एवं शर्तो में संशोधन का अधिकार प्राचार्य, फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुराहो के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की किसी शर्त में यदि कोई अस्पष्टता हो तो इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

40. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है, वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों टायर-टयूब अच्छे होना चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

41. वाहन प्रदाता के द्वारा दिया गया वाहन चालक अधिकारी के नियंत्रण में ही गाड़ी को तेज व कम स्पीड में चलाने के लिए अधिकारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य है।

प्राचार्य
फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, खजुरहो

बी आई डी / टेंडर सबमिशन के लिए चेकलिस्ट

स. क्र.	आवश्यक दस्तावेज़	स्थिति (कृपया टिक करें)
1	क्या आपने चाही गई वाहन टेण्डर फीस जमा की है? (छाया प्रति संलग्न करें)	हॉ / नहीं
2	क्या आपने चाही गई ई.एम.डी. जमा की है? (छाया प्रति संलग्न करें)	हॉ / नहीं
3	क्या आपने सीलबंद लिफाफे में तकनीकी और वितीय प्रस्ताव दोनों तरह की बोलियाँ अलग से प्रस्तुत की हैं?	हॉ / नहीं
4	क्या आपने पिछले 03 वित्तीय वर्ष (F.Y.-2017-18, 2018-19 और 2019-20) का टर्नओवर संलग्न किया है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित है?	हॉ / नहीं
5	क्या आपने पिछले तीन वितीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की है?	हॉ / नहीं
6	क्या आपने शासकीय विभागो/सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये कार्य के संबंधित कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न की है?	हॉ / नहीं
7	क्या आपने फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) संलग्न की है	हॉ / नहीं
8	क्या आपने फर्म का पंजीकरण नंबर संलग्न की है?	हॉ / नहीं
9	क्या आपका वाहन मध्य प्रदेश में पंजीकृत है (वाहन रजिस्ट्रेशन संलग्न की है)	हॉ / नहीं
10	क्या अपने वाहन का बीमा, रोड टेक्स, प्रदूषण नियंत्रण एवं समस्त शासकीय कर आदि की छाया प्रति संलग्न की है?	हॉ / नहीं
11	क्या अपने G.S.T. पंजीयन की प्रति का प्रमाण संलग्न की है?	हॉ / नहीं
12	क्या आपने हमारे नियम एवं शर्तो से पूर्णत: संतुष्ट है?	हॉ / नहीं
13	क्या आपका वाहन वर्ष 2015 या उसके बाद का है? (छाया प्रति संलग्न करे)	हॉ / नहीं
14	क्या आपके वाहन में आर.टी.ओ. द्वारा आवंटित वैध नम्बर व नम्बर प्लेट है?	हॉ / नहीं
15	क्या आपके पास वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस धारी वाहन चालक उपलब्ध है?	हॉ / नहीं

निविदा कर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र -भाग एक

स.क्र.	विवरण	विवरण
1.	निविदाकार का नाम	
2.	फर्म का नाम	
3.	पंजीकृत कार्यालय का नाम व पता	
4.	दूरभाष/मोबाइल नं.	
5.	निविदाकार का आयकर विभाग का PAN (फोटो कॉपी संलग्न करें)	
6.	GST पंजीयन क्र. (फोटो कॉपी संलग्न करें)	
7.	संस्था/फर्म का रजिस्ट्रेशन कमांक - (फोटो कॉपी संलग्न करें)	
8.	संस्था का बैंक विवरण	बैंक का नाम: शाखा का नाम : अकाउंट नं. : आई.एफ.एस.सी. कोड :
9.	पूर्व अनुभव (शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये कार्य के संबंधित कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करें)	

10.	निविदाकार के कारोबार का विवरण (उपरोक्त के संदर्भ में Chartered Accountant का सर्टिफिकेट संलग्न करे)	वर्ष 2017-18 रू. .... लाख वर्ष 2018-19 रू. .... लाख वर्ष 2019-20 रू. .... लाख
11.	क्या किसी न्यायालय में निविदाकार के विरूद्ध कार्य दावा या वाद प्रचलित है, यदि हॉ तो संबंधित न्यायालय का नाम एवं वाद/दावा के स्वरूप का विवरण अंकित करें।	प्रमाण पत्र संलगन करें
12.	निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि रू. 10,000/- बैंक ड्राफ्ट का विवरण	क्र. .... दिनांक .... बैंक का नाम .... शाखा .... राशि (शब्दों में) ....

निविदाकार/एजेंसी/फर्म के अधिकृत

व्यक्ति के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र- भाग-दो

क्रं0	वाहन का प्रकार	दैनिक किराया 12 घंटे से अधिक बगैर पी.ओ.एल. के वाहन चालक सहित (रूपये मे केवल (ए.सी.) वाहन	किराया प्रति कि. मी. डीजल सहित एवं वाहन चालक सहित (रूपये में) केवल (ए.सी.) वाहन (प्रति माह न्युन्तम 1000 कि. मी. दूरी तय की जाएगी)	पी. ओ. एल. की खपत कि. मी. / प्रति लीटर (रूपये में) केवल (ए.सी.) वाहन	प्रति माह किराया बगैर पी. ओ.एल.के वाहन चालक सहित (रूपये में) केवल (ए.सी.) वाहन
01	02	03	04	05	06
01	ईनोवा या अन्य समकक्ष वाहन				
संस्था द्वारा निर्धारित दरें			32000/-	12 रूपयें प्रति किलोमीटर	20000/-
02	बोलेरो/ मराजो/ या अन्य समकक्ष वाहन				
			25000/-	8 रूपयें प्रति किलोमीटर	17000/-
03	स्विफ्ट डिजायर/ ऐटियॉस/अमेज या अन्य समकक्ष वाहन				
			20000/-	7 रूपयें प्रति किलोमीटर	13000/-

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः-

पताः-